रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933

No. 218] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2012

का.आ. 248(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2737 (अ), तारीख 30 अक्तूबर, 2009 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 29.100 कि.मी. से 4.740 कि.मी. (हाजीरा-सूरत खण्ड) और 7.325 कि.मी. से 103.149 कि.मी. (सूरत से महाराष्ट्र / गुजरात सीमा खण्ड) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में, मैसर्स सोमा-आइसोलेक्स सूरत हाजीरा टोलवे प्रा. लिमिटेड, जो जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आठवां तल, ब्लॉक बी, वाटिका टॉवर, गोल्फ लिंक रोड, सैक्टर 54, गुडगॉव - 122002, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है), 29.12.2008 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 103.500 कि.मी. से 29.100 कि.मी. तक के खण्ड गुजरात / महाराष्ट्र सीमा -सूरत - हजीरा पोर्ट खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) को चार लेन का बनाने प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की

408 GI/2012

NI-Toll

लम्बाई 115.31 कि.मी. के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क लगाया और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उस तारीख को या उस तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा बहुधरीयान वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

सारणी II

स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी से निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	अधिक बड़े यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

टिप्पण :-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर ऐसे पथकर प्लाजाओं के लिए निर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ।

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
74.800 कि.मी. (तापी जिले में व्यारा गांव के पास)	52.470
राज्य राजमार्ग 168 का 5.450 कि.मी (सूरत जिले में भाटीया गांव के पास)	62.840

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (लों) संरचनाओं के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे दी गई है, शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (ओं) पर शोध्य और संदेय होगा ।

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) और (पुल/ संरचना) की लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा	
	लम्बाई	लागत
74.800 कि.मी. (तापी जिले में व्यारा गांव के पास)	5.300 कि.मी.	72.00 करोड़ रू0
74.800 कि.मी. (तापी जिले में व्यारा गांव के पास)	11.230 कि.मी.	122.00 करोड़ रू0
राज्य राजमार्ग 168 का 5.450 कि.मी (सूरत जिले में भाटीया गांव के पास)	1.16 कि.मी.	87.00 करोड़ रू0

3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00/- रुपए (एक सौ नब्बे रुपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुमत्य भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. शुल्क की दरों में संशोधन उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/510/09-10/सीओ/जीसी सूरत (सूरत-हजीरा) बीओटी]

बी. बी. महापात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2012

S.O. 248(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O.2737(E), dated *30/10/2009*, the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 29.100 to kilometer 4.740 [Hazira-Surat *section*] and from kilometer 7.325 to kilometer 103.149 (Surat to Maharashtra/Gujarat Border *section*) of National Highway No.6 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) , the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with Soma – Isolux Surat – Hazira Tollway Private Limited having its registered office 8th Floor, Block B, Vatika Towers, Golf Links

Road, Sector 54, Gurgaon – 122002 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 29/12/2008 for the development of Gujarat/Maharashtra Border – Surat – Hazira Port section from km 103.000 to km 29.100 on National Highway No. 6 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 115.310 km for use of the four lane section and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in Crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred Crore and upto Rupees two hundred Crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 74.800 (near village Vyara in Tapi district)	52.470
Km 5.450 of SH 168 (near village Bhatia in Surat district)	62.840

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 74.800 (near village Vyara in Tapi district)	5.300 km	Rs 72.00 Crore
Km 74.800 (near village Vyara in Tapi district)	11.230 km	Rs 122.00 Crore
Km 5.450 of SH 168 (near village Bhatia in Surat district)	1.16 km	Rs 87.00 Crore

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (Rupee one hundred ninety) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or More	One month from date of payment

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/510/09-10/CO/GC Surat (Surat-Hazira) BOT]

B. B. MAHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.